"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2023 — श्रावण 2, शक 1945

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2023

अधिसूचना

कमांक एफ 5–7/आट—परि./2022.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप—धारा (1) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) में, शब्द ''किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें'' के पश्चात्, शब्द ''व एम्बुलेंस'' अन्तःस्थापित किया जाये।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 18th July 2023

NOTIFICATION

No. F 5-7/VIII-Trans./2022.— In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said Adhiniyam, the same having been previously published as required by subsection (1) of Section 23 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

In column (2) of serial number 2 of Part-I of Second Schedule, after the words "Motor cars of any un-Iaden weight", the words "and ambulances" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.